



Uttarakhand
Simply Heaven!

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा संचालित योजनाएँ



पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनायें

1- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विभाग में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना वर्ष 2002 में लागू की गयी।

• (1) मद -

- **वाहन-** बस, टैक्सी, जिप्सी, कैरावैन, टैम्पो ट्रैवलर, इलैक्ट्रिक वाहन क्रय।
- **गैरवाहन-** फास्ट फ्रूड सेन्टर, रैस्टोरेन्ट, मोटरगैराज, योगध्यान केन्द्र, फोटोग्राफी उपकरण सोविनियर शॉप, हर्बल टूरिज्म, संग्रहालय निर्माण, हस्तशिल्प शोरूम, साहसिक पर्यटन उपकरण, होटल/मोटल, बर्डवाचिंग उपकरण क्रय, एस्ट्रो टूरिज्म के उपकरण क्रय, आल टैरेन बाईक्स, बेकरी शॉप, लॉण्ड्री इत्यादि।

(2) अनुदान- अनुमोदित योजना गैर वाहन मद के विभिन्न प्रयोजनों हेतु पर्वतीय क्षेत्र में पूंजी सकर्म का 33 प्रतिशत अधिकतम 33.00 लाख तथा वाहन मद एवं मैदानी क्षेत्र में पूंजी सकर्म का 25 प्रतिशत अधिकतम 25.00 लाख अनुदान धन राशि प्रदान किये जाने का प्राविधान है। बस (इलैक्ट्रिक/लकजरी) क्रय हेतु 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 20.00 लाख, इन में से जो भी कम हो की राज सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

(3) मार्जिन मनी- लाभार्थी को 12.5 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी लगानी होगी।

(4) पात्रता- उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी, पर्यटन विषय पर डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त लाभार्थियों को वरीयता, बस एवं टैक्सी क्रय योजनाओं के लिए कम से कम 5 वर्ष का कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेन्स अनिवार्य (7500 किलोग्राम भार से अधिक वजन के वाहनों हेतु), होटल/मोटल योजनाओं के लिए भूमि की अनिवार्यता, लाभार्थी कम से कम साक्षर हो।

(5) आवेदन प्रक्रिया- योजना आवेदन हेतु आवेदक को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल www.msy.uk.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके उपरान्त ऑनलाइन प्रपत्रों की दो प्रतियां जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में निम्न पत्रों के साथ (योजनानुसार आवश्यक) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र
2. आयु प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत)
4. शैक्षिक योग्यता/ तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र
5. अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ी जाति व भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र
6. कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेन्स एवं क्रय किये जाने वाले वाहन का कोटेशन (वाहन हेतु)
7. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र।
8. प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं योजना का नक्शा

(6) चयन- शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है।

2- दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा संचालित दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण पर्यटन के विकास व रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना के उद्देश्य स्थानीय लोगो को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना व नये पर्यटन स्थलों का विकास, राज्य की संस्कृति ऐतिहासिक धरोहरों तथा पारम्परिक/पहाड़ी शैली से परिचित कराना तथा स्थानीय रोजगार सृजन के द्वारा प्रदेश से पलायन रोकना है। योजना हेतु शर्तें- भवन पूर्णतः आवासीय परिसर हो और वहां मकान मालिक अपने परिवार के साथ भौतिक रूप से रह रहा हो, भवन का होम स्टे के रूप में पंजीकरण कराया गया हो, पर्यटकों के लिए 01 से 06 तक कमरों की व्यवस्था की गयी हो। यह योजना नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है तथा पारम्परिक/ पहाड़ी शैली में निर्मित/ विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जाती है।

(1) अनुदान - अनुमोदित योजना मैदानी क्षेत्रों में पूंजी सकर्म लागत का 25 प्रतिशत अथवा 7.50 लाख जो भी कम हो तथा कुल सालाना ब्याज राशि का 50 प्रतिशत या 1.00 लाख जो भी कम हो जो प्रथम 5 वर्षों तक मान्य होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पूंजी सकर्म लागत का 50 प्रतिशत अथवा 15.00 लाख जो भी कम हो तथा कुल सालाना ब्याज राशि का 50 प्रतिशत या 1.50 लाख जो भी कम हो जो प्रथम 5 वर्षों तक मान्य होगा। साथ ही बैंकों से रु० 30.00 लाख तक ऋण लिये जाने पर बैंक के पक्ष में पंजीकृत बंधकभिलेख पर भुगतान किये जाने वाले प्रभाव शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2) मार्जिन मनी - लाभार्थी को 12.5 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी लगानी होगी।

(3) पात्रता - उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी हो, भूस्वामित्व प्रमाण पत्र, भू-उपयोग परिवर्तन करना अनिवार्य

(4) चयन - शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है।

(5) आवेदन प्रक्रिया - योजना आवेदन हेतु आवेदक को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल www.msy.uk.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके उपरान्त ऑनलाइन प्रपत्रों की दो प्रतियां जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में निम्न पत्रों के साथ (योजनानुसार आवश्यक) प्रस्तुत करना आवश्यक है:

- जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र
- आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो।
- उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
- भूमि/भवन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
- योजना का आगणन एवं मानचित्र

(6) किसी भी गाँव में 6 या उससे अधिक गृह आवास (होम स्टे) स्थापित किये जाने पर उन्हें समूह माना जायेगा। ऐसे समूह के चयन की कार्यवाही जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी। सर्वप्रथम जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों के आस-पास ही समूह चिन्हित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

(7) समूह में जो आवास (होम स्टे) विकसित होंगे उन ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधा कार्य भी कराये जायेंगे।

3-उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2026

उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2026 का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायों तथा संस्थाओं का पंजीकरण, अनुज्ञ, मान्यता एवं इसी प्रकार के कार्य हेतु शुल्क आदि की शर्तें अवधारित किया जाना है।

नियमावली के अन्तर्गत होम-स्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट श्रेणी के भवन का पंजीकरण 5 वर्षों के लिये गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज श्रेणी में भवन में पर्यटकों हेतु उपलब्ध कराई गई सुविधाओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, इकाई की स्थिति का आंकलन करते हुए जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। होम-स्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट के अन्तर्गत पंजीकृत इकाई के कक्षों की अधिकतम संख्या 08 एवं न्यूनतम 01 कक्ष होगी एवं किसी भी दशा में शैय्याओं की संख्या 24 से अधिक नहीं होगी। ऑनलाईन पंजीकरण हेतु विभागीय वेबसाईट www.uttarakhandtourism.gov.in में आवेदन किया जाना होता है, जिस हेतु आवेदक को निम्न प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड करते हुए एक प्रति कार्यालय में जमा करनी होती है:-

1. होम स्टे के फोटोग्राफ्स
2. नोटराइज्ड शपथ पत्र।
3. आवेदक का पैनकार्ड/आधारकार्ड
4. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
5. भवन का मानचित्र
6. फायर एन0ओ0सी0/बिल
7. होम-स्टे स्वामी का चरित्र प्रमाण पत्र जो कि छः माह से अधिक पूर्व का न हो
8. बेड एण्ड ब्रेकफास्ट हेतु अधिकृत संचालक/व्यवस्थापक का स्थानीय पुलिस से सत्यापन/चरित्र प्रमाण पत्र

योजना के लाभ:-

- पंजीकृत भवन स्वामियों को आतिथ्य सत्कार एवं ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- विद्युत, पानी एवं भवन कर अव्यावसायिक दरों पर वसूली की जायंगी।
- प्रथम तीन वर्षों तक अर्जित आय पर जी0एस0टी0 की छूट।
- पंजीकृत ईकाईयों का प्रचार-प्रसार उत्तराखण्ड पर्यटन की वेबसाईट से किया जा रहा है तथा इस के लिये पृथक से मोबाईल एप भी विकसित की गयी है।

4-दीनदयाल मातृ पित्र तीर्थाटन यात्रा

पर्यटन विभाग द्वारा “दीनदयाल मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना” के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु गंगोत्री, श्री बद्रीनाथ, रीठा-मीठा साहिब, नानकमत्ता साहिब, पिरान कलियर शरीफ, ताड़केश्वर, कालीमठ, जागेश्वर, गैराड़ गोलू, गंगोलीहाट, बैजनाथ, हनोल, कालिका देवी एवं ज्वालपा देवी की निःशुल्क यात्रा करवायी जाती है। यदि हेतु इच्छुक दंपतियों में से किसी एक की आयु 60 वर्ष से कम है तो वो भी वह दंपति यात्रा हेतु आवेदन कर सकता है। यात्रा के दौरान वाहनों की व्यवस्था उत्तराखण्ड परिवहन निगम तथा खान-पान एवं रात्रि निवास की व्यवस्था गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कुमाऊ मण्डल विकास निगम के द्वारा करवायी जाती है।



सम्पर्क सूत्र:

जिला पर्यटन विकास अधिकारी चमोली।

दूरभाष नं0 01372-253185 | Email id- tourismchamoli@gmail.com